

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

दिनांक- 21.1.2020

विषय- ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹ 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति।


आदेश- स्वीकृत।

महाशय,

कार्यपालक अभियंता द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अध्याचना जो संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा अनुशंसित है, के आलोक ग्रामीण विकास विभाग की निम्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कुल ₹ 20,00,00,000/- (बीस करोड़ रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक	वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि
1.	पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना	Construction of Patna Sadar Block Office Complex including all Residential Quarter and Development of at Kumharar, Patna	381664/30.07.18	20000000.00 (दो करोड़ रूपये)
2.	भवन प्रमंडल, बांका	Construction of Banka Block Circle Building & Campus Development Banka	381664/30.07.18	60000000.00 (छः करोड़ रूपये)
3.	भवन प्रमंडल, बांका	Construction of Katoriya Block Circle Building & Campus Development Banka	381664/30.07.18	60000000.00 (छः करोड़ रूपये)
4.	भवन प्रमंडल, अरवल	Construction of Block Office and Residential Building at Sonbhadra Banshi Suryapur Block at Arwal	381664/30.07.18	60000000.00 (छः करोड़ रूपये)
कुल योग:-				200000000.00
(बीस करोड़ रूपये) मात्र।				

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-01-कार्यालय भवन-लघुशीर्ष-051-निर्माण-उपशीर्ष-0117-प्रखंड के भवन (ग्रामीण विकास विभाग) विषय कोड-03-4059010510117 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0117.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।


विश्वासभाजन

 12/11/20
 (अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 628 (अ)

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक- 21.1.2020



 12/11/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 628 (अ)

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिक/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक- 21.1.2020


 12/11/20

सरकार के संयुक्त सचिव।

2/21